भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1064

उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024
11 अग्रहायण, 1946 (शक)

राजस्थान में खेलो इंडिया

1064. श्री हनुमान बेनीवाल :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान में खेलो इंडिया के अंतर्गत अपेक्षित खेल सुविधाओं और अवसंरचना का विकास आशा के अनुरूप नहीं हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए इस संबंध में ठोस कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान तथा देश के अन्य राज्यों में खेलो इंडिया के अंतर्गत खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन के लिए अनुमोदित और व्यय किए गए बजट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): 'खेल' राज्य विषय है, इसलिए खेल सुविधाओं और अवसंरचना के विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर उनके प्रयासों में सहायता करती है। इसके साथ ही, खेलो इंडिया स्कीम एक मांग-आधारित स्कीम है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाता है, बशर्ते कि वे स्कीम के तहत पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और धन की उपलब्धता के अधीन हों। खेलो इंडिया स्कीम के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कीम के तहत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा इसकी मंजूरी की तारीख से दो वर्ष है। परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी अनुदान प्राप्तकर्ता की होती है।

(ग) खेलो इंडिया स्कीम के तहत राजस्थान सहित देश भर में स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं, स्वीकृत लागत, जारी निधि तथा उनकी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****